

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-3

लखनऊ:: दिनांक: 05 जून, 2026

विषय: लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत अभियंतागण/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु
समयसीमा में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026-27 विषयक
कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 05-05-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्यक विचारोपरांत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक
05-05-2026 के प्रस्तर-8 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत
समस्त अभियंतागण/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पूर्ण किये जाने की समयसीमा दिनांक 31 मई, 2026
से बढ़ाकर दिनांक 30 जून, 2026 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार विनिश्चित अवधि के
अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय


(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव
12